सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2023/28 दर्ज तिथिः—16.01.2023

1. आईदानराम पुत्र सदाराम
2. उमाराम पुत्र आईदानराम
3. गोमाराम पुत्र आईदानराम
4. केसी पत्नी गोमाराम
5. लिछमी पत्नी उमाराम

जाति जाट निवासी भीलों का गोल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक, कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 401/17, 401/15 मौजा भीलों का गोल पटवार मण्डल मालपुरा तहसील नोखड़ा प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी संख्या 01 की पैतृक आराजी होने से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 का नाम प्रार्थी संख्या 01 की सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया।

- कि प्रार्थी संख्या 01 द्वारा मौजा भीलों का गोल से गुड़ामालानी–बाड़मेर सड़क तक आवागमन हेतु चलायमान रास्ते की भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवाई गई थी। परंतु समर्पित भूमि की तरमीम वर्तमान चलायमान रास्ते से भिन्न स्थान पर कर दी गई। जिससे मौके पर चलित रास्ते एवं नक्शा लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई।
- कि मौके पर चल रहे रास्ते के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 401 / 15 का रकबा 12.6019 है0 व दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 401 / 17 का रकबा 5.3337 है0 है। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा खसरा संख्या 401 / 15 का रकबा 4.8562 है0 एवं खसरा संख्या 401 / 17 का रकबा 13.0794 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। साथ ही लट्ठा ट्रैस में समर्पित भूमि खसरा संख्या 401 / 14 एवं प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 401 / 17, 401 / 15 की मौके से भिन्न गलत तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। जिससे मौके व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 401 / 15 का रकबा 12.6019 है0 व दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 401 / 17 का रकबा 5.3337 है0 की तरमीम वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रैस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2024 / 1852 दिनांक 12.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:30 IST
Reason: SelfAttested

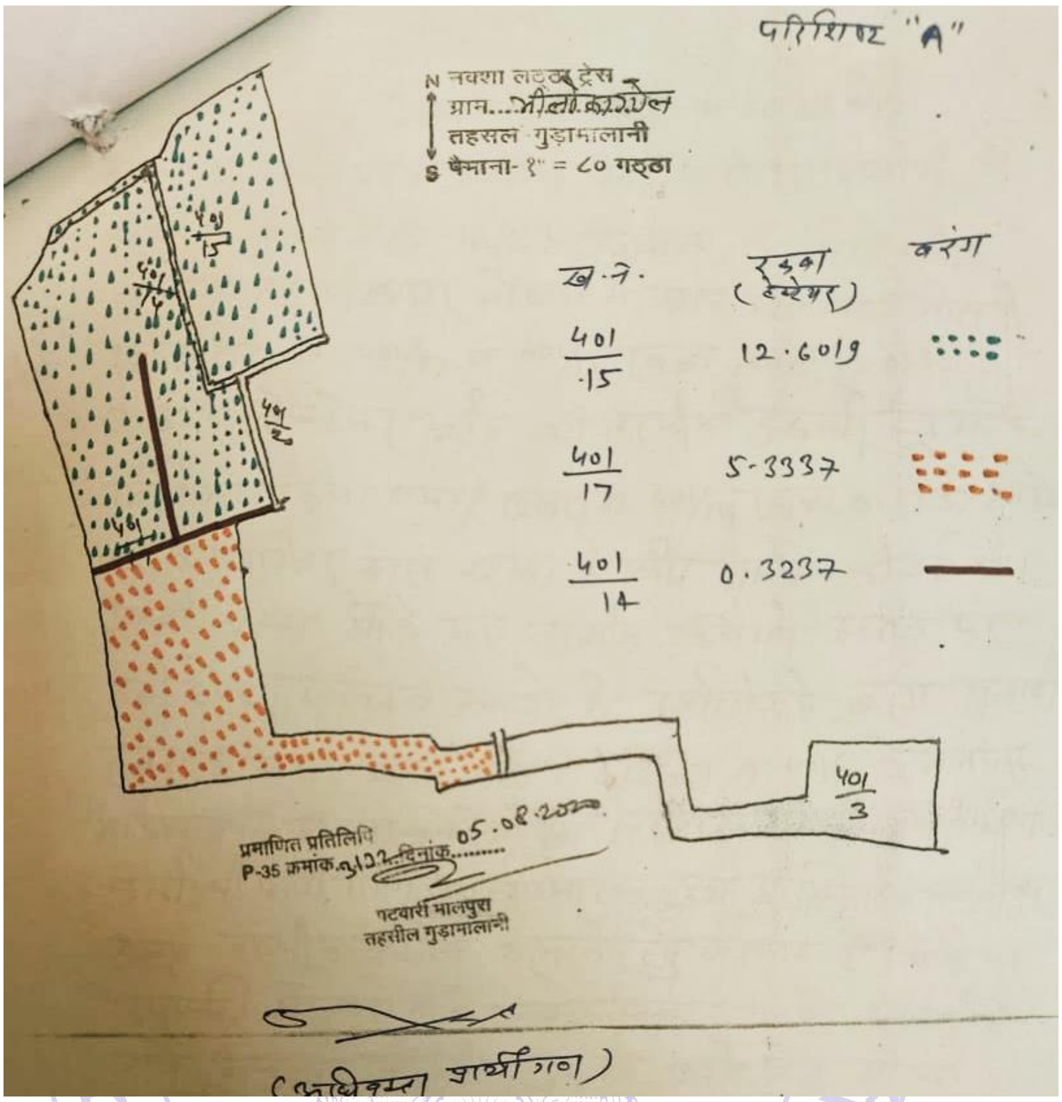

6\. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2024 / 1852 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2024 / 1852 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:30 IST
Reason: SelfAttested

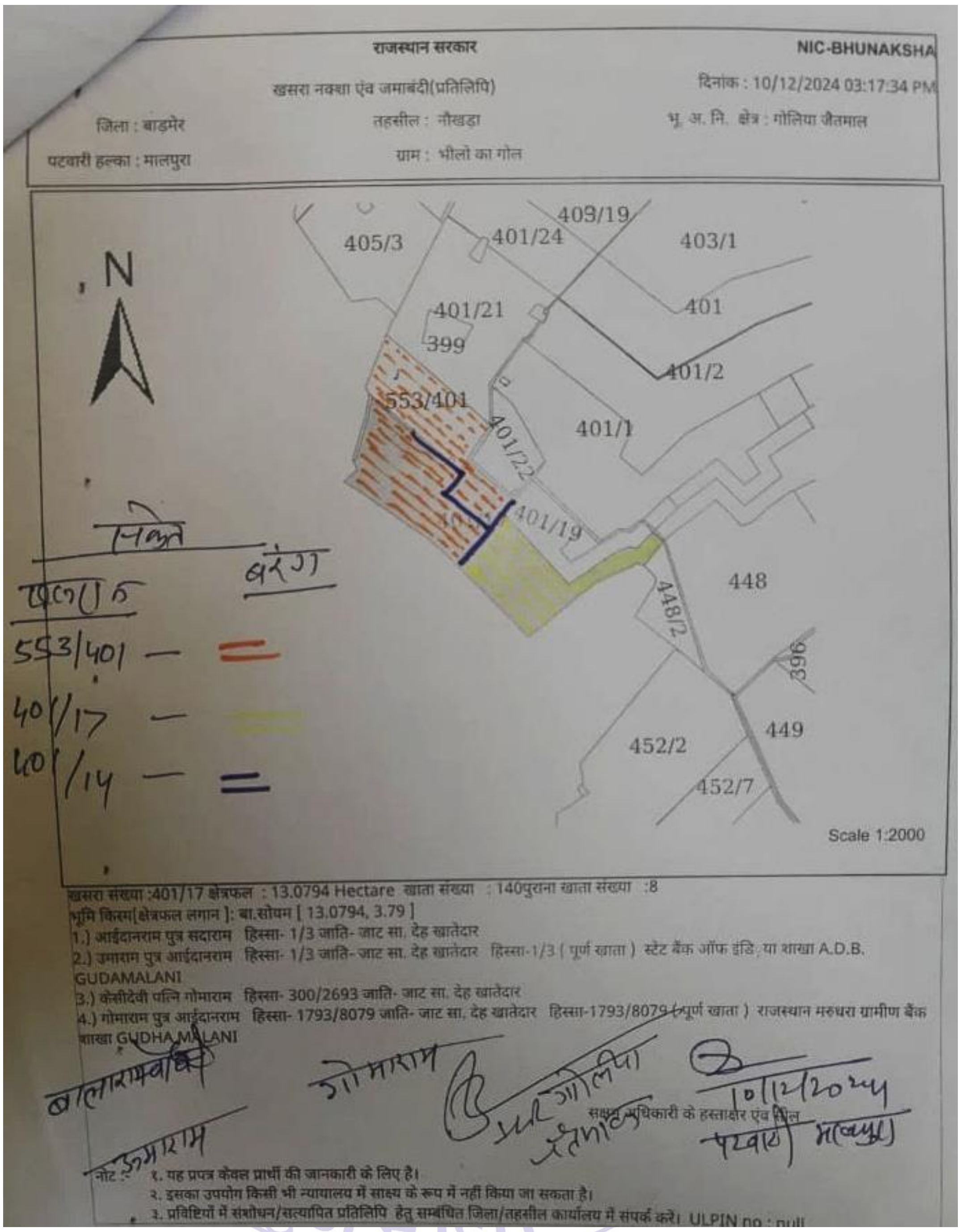

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2024 / 1852 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. आराजी खसरा संख्या 401 / 17, 553 / 401 का रकबा क्रमशः 13.0794 है0, 4.8401 है0 वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। बाद तरमीम दुरूस्ती खसरा संख्या 401 / 17, 553 / 401 का रकबा क्रमशः 5.2609 है0, 12.6586 है0 रहेगा।
   2. आराजी खसरा संख्या 401 / 17, 553 / 401 के मध्य मौके पर चालू उक्त रास्ते की राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम समर्पण आदेश अनुसार की गई है एवं मौके पर दोनों खसरों के मध्य ग्रेवल सड़क बनी हुई है। उक्त ग्रेवल सड़क संलग्न नक्शे में दर्शाये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:30 IST
Reason: SelfAttested

गये स्थान पर स्थित होने से संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती अपेक्षित है।

3. मौके पर चालू रास्ते की तरमीम व आराजी खसरा संख्या 401 / 17, 553 / 401 का रकबा मौके पर ग्रेवल सड़क अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2024 / 1852 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2024 / 1852 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2024 / 1852 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/एलआर/2024/1852 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:30 IST
Reason: SelfAttested